# न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, नोहर (हनुमानगढ़)

(पीठासीन अधिकारी भागीरथ शाख आर.ए.एस.)

निगरानी प्र0 सं0 13 / 2017

1. मघाराम पुत्र लिछमणराम जाति बांवरी निवासी बिरकाली तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
2. श्योलाल पुत्र मूलाराम जाति बांवरी निवासी बिरकाली तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

– प्रार्थीगण

बनाम्

1. अध्यक्ष प्रशासन एवं स्थापना स्थाई समिति पंचायत समिति नोहर।
2. पंचायत समिति नोहर जरिये विकास अधिकारी पंचायत समिति नोहर।
3. ग्राम पंचायत बिरकाली जरिये सरपंच ग्राम पंचायत बिरकाली तहसील नोहर।
4. भीमराज पुत्र मनीराम जाति जाट निवासी बिरकाली तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
5. शारदा पत्नी भीमराज जाति जाट निवासी बिरकाली।

– अप्रार्थीगण

निगरानी विरूद्ध आदेश निर्णय दिनांक 19.07.2017 व प्रस्ताव संख्या 3 (IV) दिनांक 13.07.2017 अध्यक्ष प्रशासन एवं स्थापना समिति नोहर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

उपस्थितिः– श्री संतलाल तिवाड़ी अधिवक्ता, प्रार्थी
श्री हवासिंह पुनियां, अप्रार्थी

**<u>निर्णय</u>** **दिनांक :**

संक्षेप में निगरानी प्रार्थी की ओर से निम्न प्रकार से हैं :–

1. गांव बिरकाली तहसील नोहर में प्रार्थी नं0 1 के पिता प्रार्थी न0 1 के दादा लिछमणराम पुत्र हुक्माराम जाति बांवरी निवासी बिरकाली तहसील नोहर का एक पट्टा न0 14 दिनांक 19.11.58 का एक भूखण्ड था जो सदामत से ही लिछमणराम पुत्र हुक्माराम के वारिसान के कब्जा में चला आ रहा है लिछमणराम काफी वर्ष पूर्व फोत हो चुका है।
2. प्रार्थी न. 1 के पिता प्रार्थी न. 2 के दादा लिछमणराम के पट्टाशुदा प्लाट के विरूद्ध अप्रार्थी नं. 4 भीमराज पुत्र मनीराम जाति जाट निवासी बिरकाली तहसील नोहर ने एक

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

अपील अप्रार्थी न. 1 अध्यक्ष प्रशासन एवं स्थापना स्थाई समिति पंचायत समिति नोहर में इस प्रकार प्रस्तुत की गांव की आबादी में अपीलांट का बहुत पुराना कब्जा शुदा प्लाट है जिसमें वह परिवार सहित आबाद है। अपीलांट के कब्जाशुदा भुखण्ड के पूर्व साईड में आम गली है जो काफी पक्की ईंटों की बनी हुई है ग्राम पचाायत बिरकाली द्वारा लिछमण पुत्र हुक्माराम के नाम से 125 गुणा 85 फुट का साजीशाना पट्टा जारी किया हुआ है जिसमें दर्ज आसा–पासा एवं भौतिक स्थिति मौके पर उपलब्ध नहीं है। रेस्पोडेंट फर्जी पटटा शुदा भूखण्ड पर कभी काबिज नही रहा अब काबिज होता है तो अपीलांट के कब्जा शुदा प्लाट के आगे पूर्वी साईड में ननाउ का रास्ता बन्द होता है। पट्टा की आड़ में ननाउ का रास्ता बन्द करने की धमकी देता है तथा उक्त जगह का उसके पास पट्टा होना बताया है। पट्टा की ग्राम पंचायत से नकल चाही गई तो ग्राम पंचायत ने रिकार्ड होना नही बताया। पटटा की जानकारी से अपील अन्दर मियाद है। पट्टा खारिज करने का निवेदन किया गया है अपील दर्ज की गई और रेस्पोडेंट को नोटिस जारी कर तलब किये गये रेस्पोडेंट न. 1 व 2 ने अपना जवाब व ऐतराज पेश किया तथा सिविल कोर्ट में विचाराधीन प्रकरण संख्या 18/2016 दिनांक 13.03.2016 की नकल प्रस्तुत की। अप्रार्थी स0 1 ने अप्रार्थी संख्या 4 की अपील स्वीकार कर आदेश जारी कर रेस्पोडेंट न0 1 के पिता रेस्पोडेंट न. 2 के दादा लिछमणराम के पक्ष में दिनांक 19.11.58 को जारी पट्टा भूखण्ड के उत्तरी हिस्सा की पूर्व की तरफ उत्तर दक्षिण 3 फुट पश्चिम की तरफ उत्तर दक्षिण 48 फुट A.B.C.D. क्षेत्र रास्ता की जगह की हद तक पटटा खारिज किया जाता है। अप्रार्थी नं. 1 अध्यक्ष प्रशासन एवं स्थापना समिति पंचायत समिति नोहर का आदेश दिनांक 19.07.2017 विधि व तथ्यों के विरूद्ध है कतई गलत तौर से किया गया आदेश होने के कारण प्रार्थीगण निम्न आधारों पर निगरानी प्रस्तुत कर रहे है :

1– करीब 60 वर्ष पूर्व प्रार्थी नं. 1 के पिता प्रार्थी नं. 2 के दादा लिछमणराम पुत्र हुक्माराम जाति बावंरी निवासी बिरकाली के नाम से पट्टा नं. 14 दिनांक 19.11.58 पूर्णरूप से विधि प्रक्रिया अपनाकर ग्राम पंचायत बिरकाली द्वारा जारी किया गया था। भूखण्ड सदामत से लिछमणदास के कब्जा में रहा। लिछमणदास के फोत होने के पश्चात पट्टाशुदा भूखण्ड लिछमणराम के वारिसान के कब्जा में व उपयोग उपभोग में चला आ रहा है पटटा के किसी भाग को अप्रार्थी नं. 1 को निरस्त करने का अधिकारी नही है अप्रार्थी स. 1 का आदेश दिनांक 19.07.2017 निरस्त योग्य है।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

2– यह कि अप्रार्थी नं. 1 का आदेश निर्णय दिनांक 19.07.2017 कतई मनमाना व वेग है इसलिए निरस्त योग्य है आदेश दिनांक 19.07.2017 कतई अस्पष्ट आदेश है।

3– लिछमणराम पुत्र हुक्माराम बांवरी के हक में जारी किये गये भूखण्ड का पटटा 127 दरगज गुणा 85 दरगज का है आदेश में पटटा नाप सही दर्ज नहीं किया गया है मौके पर भौतिक रूप से पटटे का यही नाप है इसलिए अप्रार्थी न. 1 का आदेश निरस्त योग्य है।

4– अप्रार्थी सं. 4 ने गांव बिरकाली के रास्ता आम की भूमि पर नाजायज कब्जा कर रखा है। अप्रार्थी सं. 4 को रास्ता भूमि पर नाजायज कब्जा करने का कोई अधिकारी नही है। अप्रार्थी संख्या 4 ने नाजायज कब्जा को बचाने के लिए ग्राम पंचायत से मिलकर कतई गलत तथ्यों पर अपील पेश की थी जो निरस्त किये जाने योग्य थी।

5– आज से करीब 60 साल पहले ग्राम पंचायत बिरकाली ने मिसल न. 64 कायम करके लिछमणराम बावंरी के हक में पटट नम्बर 14 दिनांक 19.11.58 जारी किया गया था उस पटटे के किसी भाग को निरस्त करने का अधिकार अप्रार्थी नं. 1 को नही था इसलिए अप्रार्थी नं. 1 का आदेश दिनांक 19.07.2017 निरस्त योग्य है।

6– अप्रार्थी नं.1 की अपील में प्रार्थीगण को सुनवाई का कोई मौका नहीं दिया गया न ही सबूत व साक्ष्य पेश करने का मौका दिया गया। बिना सुनवाई पहली तारीख पेशी पर ही आदेश जारी कर दिया जो कतई विधि विरूद्ध है। और ना ही मौका कमेटी नियुक्त कर मौका रिपोर्ट ली गयी।

7– अप्रार्थी नं. 4 से अपील में उसके नाजयज कब्जा के भूखण्ड के कोे सबूत दस्तावेज नही मांगे। अप्रार्थी से उसके भूखण्ड का कोई रिकार्ड नही लिया गया। मनमानेतौर पर अप्रार्थी नं. 1 ने अप्रार्थी नं. 4 को नाजायज लाभ पहुंचाने के लिए जल्दबाजी में आदेश पारित किया गया जो निरस्त योग्य है।

8– लिछमणराम फोत हो चुका है जिसके जायज वारिसान को अपील में पक्षकार नही बनाया गया। लिछमणराम के वारिस व सजरा खानदान निम्न प्रकार से है। लिछमणराम के वारिसान को सुनाई का मौका नहीं दिया गया।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

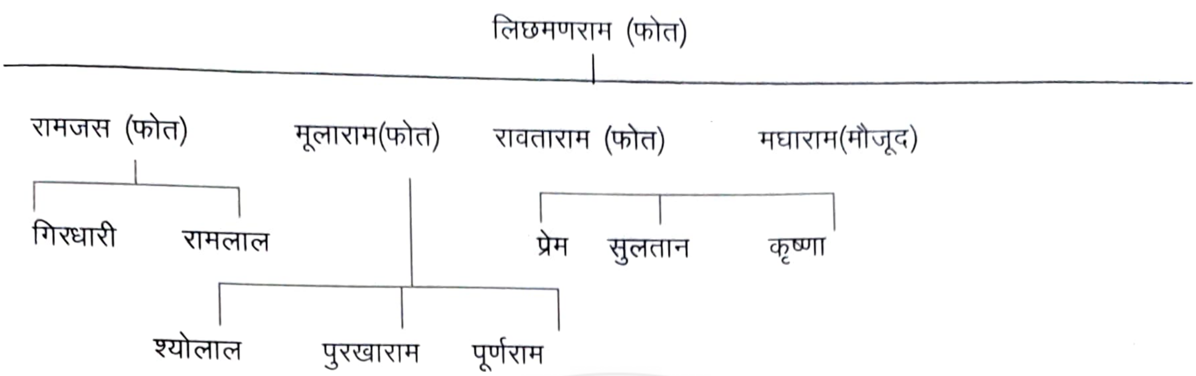


9. अप्रार्थी स0 4 को प्रार्थीगण के पटटे का ज्ञान सदामत से ही था अप्रार्थी नं. 4 रास्ता की भूमि पर नाजायज कब्जा कर रखा है इसलिए अपने नाजयज कब्जा को बचाने के लिए ग्राम पंचायत से मिलकर कतई फर्जी कार्यवाही की है जो निरस्त किये जाने योग्य थी। अप्रार्थी नं. 4 की अपील को स्वीकार कर अप्रार्थी नं. 1 ने विधि, तथ्यों की भारी भूल की है।

10. अप्रार्थी नं. 4 ने सरपंच ग्राम पंचायत बिरकाली से मिलकर प्रार्थीगण को तंग परेशान करने के लिए व्यक्तिगत द्वेषता के कारण कार्यवाही की है सरपंच ग्राम पंचायत बिरकाली प्रार्थीगण से व्यक्तिगत रूप से नाराज है। अप्रार्थी संख्या 1 के आदेश दिनांक 19.07.2017 न्याय संगत नहीं होने के कारण निरस्त योग्य है।

निगरानी प्रार्थीगण पेश कर निवेदन है कि निगरानी प्रार्थीगण स्वीकार फरमाई जाकर अपील भीमराज बनाम मघाराम आदि अपील संख्या 12/2017 में अध्यक्ष प्रशासन एवं स्थापना समिति स्थाई समिति पंचायत समिति नोहर के आदेश दिनांक 19.07.2017 व प्रस्ताव संख्या (IV) दिनांक 03.07.2017 को निरस्त कर खारिज फरमाया जावें।

निगरानी पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। अप्रार्थीगण की तलबी की गई। बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई।

प्रार्थी अधिवक्ता ने निगरानी मीमों में उल्लेखित बिन्दुओं को दोहराते हुए निवेदन किया कि पंचायत समिति की अपील का जवाब समय पर प्रस्तुत कर दिया। एतराज के बावजूद भी उसी दिन निर्णय कर दिया मौका तक भी नहीं देखा। 60 साल पहले ग्राम पंचायत बिरकाली ने मिसल न. 64 लिछमण राम बावरी के नाम दिनांक 19.11.58 को 127 गुणा 85 दरगज का पट्टा जारी कर दिया। पास मे भीमराज ने रास्ते की भूमि पर कब्जा कर लिया। अपील में प्लाट का साईज सही नही बताया गया है। पंचायत समिति ने

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

भीमराज जो की अतिक्रमी है के बारे में कोई जानकारी नही की। अपीलांट को अपील पेश करने का कोई अधिकार ही नही था। भीमराज का कोई रेकार्ड नही देखा एवं कोई जांच नही बिना साक्ष्य ही 3 गुणा 48 फुट का आंशिक पट्टा खारिज कर दिया अतः निगरानी स्वीकार फरमावें।

अधिवक्ता अप्रार्थी ने बहस में निवेदन किया कि 1958 में जारी पट्टे के विरूद्ध अपील पेश की है। निगरानीकार आज तक इस पर काबिज नही हुए। चारदीवार बनाने की कोशिश की तब अपील पेश की। पंचायत समिति में खारिज पट्टे की जगह में पीएचईडी की लाईन है। टेलिफोन एवं बिजली की लाईन भी उसी जगह से गुजर रही है। विवादित भूखण्ड के उत्तर व पश्चिम साईड में आम गली है जो की पक्की बनी हुई है। पश्चिम में ननाउ का रास्ता है। मेरा पानी का कनेक्शन भी इसी गली से है। पंचायत समिति ने मौका देखकर जो जगह आवागमन के काम में आ रही थी उसी का पट्टा निरस्त किया। मौका निरीक्षण कमेटी के सदस्यों द्वारा किया गया है। कब्जा करने पर मेरा गेट बन्द हो जाएगा। मेरे पास पट्टा नहीं है लेकिन बुजुर्गों के समय से काबिज हूँ। स्वयं न्यायालय भी मौका देख सकता है।

अधिवक्ता प्रार्थी ने पुनः बहस में निवेदन किया कि हम काबिज है हमारा मकान बना हुआ है। पक्का मकान है। भीमराज के अतिक्रमण को देखते हुए आंशिक पट्टा निरस्त किया है। लिछमणराम के सभी वारिसों को पक्षकार नही बनाया तथा ना ही सभी को सुना गया। अतः निगरानी स्वीकार फरमावें।

बहस पर मनन किया। पत्रावली व पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया । उपरोक्त विवेचनानुसार स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपील में मृतक लिछमणराम के सभी वारिसों को पक्षकार ही नही बनाया गया है तथा समुचित मौका रिपोर्ट तैयार नही की गई है।

अतः निगरानी आंशिक रूप से स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 19.07.2017 अपास्त किया जाता है तथा पत्रावली इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि उभयपक्षकारों को सुनवाई का अवसर देते हुए उभयपक्षकारों की मौजूदगी में मौका निरीक्षण कर समुचित मौका रिपोर्ट तैयार कर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

अधीनस्थ न्यायालय को अभिलेख मय निर्णय प्रति लौटायी जावें। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील जाब्ता दफ्तर दाखिल हों। निर्णय मेरे द्वारा टंकित करवाया जाकर आज दिनांक 14.10.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भागीरथ शाख आर.ए.एस.)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official